

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
पत्रांक- 1686 /11-सी-FP/UP/Canal/44512/2020, लखनऊ, दिनांक: जनवरी 13, 2021

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र),
केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।

विषय:- जनपद-महाराजगंज के सोहगीबरवा वन्यजीव प्रभाग, महाराज के अंतर्गत कैम्पियरगंज शाखा नहर निर्माण (किमी० 51.00 से 62.106) हेतु ग्राम-कोल्हुआ उर्फ सिंघोरवा में 0.2 हे० आरक्षित वनभूमि तथा ग्राम-लालपुर कल्यानपुर में प्रभावित होने वाली 0.2 हे० आरक्षित वनभूमि अर्थात् कुल 0.40 हे० आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 40 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- भारत सरकार का पत्रांक-8बी/यू०पी०/०२/166/2020/एफ०सी०/1115, दिनांक 29.12.2020

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में की गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर वांछित सूचना/अभिलेख मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव (पूर्वी), गोण्डा ने अपने पत्रांक-1303/35-1, दिनांक 11.01.2021 के द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है।

अतः उक्त पत्र की छायाप्रति सहित वांछित सूचना/अभिलेख इस अनुरोध के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि कृपया विषयोंकित प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या- 1686 /11-सी-FP/UP/Canal/44512/2020, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव (पूर्वी), गोण्डा।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, सोहगीबरवा वन्यजीव प्रभाग, महाराजगंज।
4. अधिशासी अभियन्ता, राप्ती नहर निर्माण खण्ड, तुलसीपुर, बलरामपुर।

(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।